

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक / /2026

विषय : डा० रामाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुपरी, सीतामढ़ी के पेंशन/उपदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि डा० रामाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुपरी, सीतामढ़ी के दिनांक-30.06.2023 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप इन्हे अनुमान्य पेंशन/उपदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि इनके विरुद्ध किसी बकाया राशि/असमायोजित अग्रिम आदि की वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी वसूली नियमानुकूल की जाएगी।

(3) इस पत्र के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक संलग्न हैं :-

- (i) पेंशन प्रपत्र दो प्रति में
- (ii) संयुक्त फोटो
- (iii) हस्ताक्षर का नमूना
- (iv) पारिवारिक सदस्यों की सूची
- (v) सेवा इतिहास
- (vi) विभागीय बकाया रहित प्रमाण-पत्र
- (viii) अंतिम प्रभार रिपोर्ट
- (ix) अंतिम वेतन पूर्जा
- (x) कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय भवन प्रमण्ड, सीतामढ़ी द्वारा निर्गत मॉग रहित प्रमाण पत्र।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/पेन-17/2026-

1792(2)

पटना, दिनांक 29/7/2026

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुपरी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा० प्रसाद का दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण-पत्र महालेखाकार बिहार को भेजते हुए इसकी

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/डा० रामाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुपरी, सीतामढ़ी पत्राचार का पता-मोहल्ला-मोहनी, पो०-मोहनी सकरौली, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09(A), 09(B) एवं 18(A) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।